Website

उत्तर प्रदेश सरकार
उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड
तुलसी गंगा काम्पलेक्स, 19सी विधानसभा मार्ग,
उ0प्र0,लखनऊ - 226001
दूरभाष/फैक्स: 0522-2236172 फैक्स- 0522-2235806
Web-www.uppbpb.gov.in

संख्याः पीआरपीबी–पी–184/2021 दिनांकः जुलाई 22,2021

आदेश

याची/आरक्षी मो0 दानिश पुत्र सैयद गयासुद्दीन, पीएनओ–920610352 जनपद–हरदोई द्वारा उसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्णय दिनांकित 22.03.2021 के अनुपालन में मुख्य आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस के पद पर पदोन्नति प्रदान किए जाने का अनुरोध करते हुए अपने प्रत्यावेदन दिनांकित 16.01.2021 को निस्तारित किये जाने हेतु रिट याचिका संख्या–7999(एस/एस)/2021 योजित की गई है। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ द्वारा सुनवाई के उपरान्त पारित निर्णय दिनांकित 22..03.2021 के मुख्य अंश निम्नवत् हैंः–

……… The petition seeks issuance of a writ in the nature of mandamus directing respondent to consider the case of the petitioner for promotion on the post of Head Constable Armed Police w.e.f. batch mate of the petitioner.

At the outset, learned counsel for the petitioner has made an innocuous prayer that petitioner may be given liberty to represent his case before competent authority for redressal of his grievance.

Learned Addl. Chief Standing Counsel has submitted that he has no objection to the innocuous prayer made by petitioner's counsel.

I have heard learned counsel for the parties and perused the record.

Without commenting upon the merits of the case, the petitioner is directed to move a fresh detailed representation alongwith a certified copy of this order before respondent no.2/Chairman, Police Recruitment Promotion Board, Vidhan Sabha Marg, Lucknow within 10 days from today, who shall consider and decide the same in accordance with law expeditiously, preferably within three months from the date of receipt of the said representation.

The order so passed shall be communicated to the petitioner forthwith.

With the aforesaid directions, the instant petition is disposed of.

2. मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ के निर्णय दिनांकित 22.03.2021 के अनुपालन में याची द्वारा अद्योहस्ताक्षरी को सम्बोधित अपना दिनांक रहित प्रत्यावेदन मा0 न्यायालय के निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित बोर्ड को उपलब्ध कराया है, जो बोर्ड में दिनांक 01.04.2021 को प्राप्त हुआ है। मेरे द्वारा याची के प्रत्यावेदन का सुसंगत अभिलेखों सहित गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया। याची द्वारा अपने प्रत्यावेदन में उसे आरक्षी पीएसी से मुख्य आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस के पद पर प्रार्थी के बैचमेट की तिथि से पदोन्नति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3. प्रकरण में सूच्य है कि बोर्ड के गठन सम्बन्धी शासनादेश संख्या–1256/6–पु0–10–2008–27(7)/08 दिनांक 02.12.2008 (समय–समय पर यथा–संशोधित) में दिये गये प्रावधान के अनुसार बोर्ड द्वारा पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराये गये अधियाचन तथा पी0ए0सी0 मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी कर्मियों की निर्विवादित वरिष्ठता, पात्रता सूची एवं कर्मियों के सेवाभिलेखों के आधार पर संगत सेवा नियमावली में दिये गये प्रावधान के आधार पर ही प्रोन्नति की कार्यवाही की जाती है।

4. प्रोन्नति प्रकियाओं के सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय व मा0 उच्च न्यायालय द्वारा स्थापित व्यवस्थाओं, संगत शासनादेशों तथा पुलिस विभाग के विभागीय आदेशों के दृष्टिगत विभागीय चयन समिति द्वारा समस्त कार्मिकों की उपयुक्तता/अनुपयुक्तता का मूल्यांकन निम्नांकित निर्धारित मापदण्डों के अन्तर्गत किया गया हैः–

1—<u>सेवावधि</u> :

(क) चयन वर्ष के पूर्व के 10 वर्षो की संतोषजनक सेवा के आधार पर कार्मिक की उपयुक्तता/अनुपयुक्तता का निर्धारण किया जायेगा।

(ख) सेवा अभिलेखों का विचार क्षेत्र चयन वर्ष के ठीक पूर्व के 10 वर्ष होंगे।

(ग) यथा चयन वर्ष 2019—20 के लिये वर्ष 2009 से 2018 तक के सेवा अभिलेखों पर विचार किया जायेगा।

2—<u>सत्यनिष्ठा</u> :

(क) यदि किसी वर्ष की सत्यनिष्ठा अप्रमाणित हो तो उसके बाद कम से कम 05 वर्षो की सत्यनिष्ठा प्रमाणित होनी चाहिये।

(ख) यदि विगत 10 वर्षो में 02 या 02 से अधिक बार सत्यनिष्ठा अप्रमाणित हो तो उसे अनुपयुक्त समझा जायेगा।

(ग) यदि विगत 10 वर्षो में सत्यनिष्ठा के बारे में किसी एक वर्ष में टिप्पणी नहीं है और उस वर्ष के उपरान्त 05 वर्षो तक सत्यनिष्ठा प्रमाणित है तो उसे उपयुक्त समझा जायेगा। इसके साथ ही यदि इसमें किसी एक वर्ष की सत्यनिष्ठा अप्रमाणित होगी और एक वर्ष की सत्यनिष्ठा पर कोई टिप्पणी नहीं है तो ऐसे प्रकरण स्थगित रखे जायेंगे।

3—<u>प्रतिकूल वार्षिक मंतव्य</u> :

(क) यदि किसी वर्ष में कोई प्रतिकूल वार्षिक मंतव्य हो तो उसके बाद कम से कम 03 "संतोषजनक" श्रेणी के वार्षिक मंतव्य होने पर उसे उपयुक्त माना जायेगा।

(ख) यदि विगत 10 वर्षो में 02 या 02 से अधिक वार्षिक प्रतिकूल मंतव्य हों तो उसे अनुपयुक्त समझा जायेगा।

(ग) यदि किसी वर्ष में 02 अवधि के मंतव्य अंकित किये गये हैं तो अधिक अवधि वाले मंतव्य को वार्षिक मंतव्य माना जायेगा।

4—<u>दीर्घ शास्ति(स्थापित नियमावली के अधीन प्रदत्त शास्तिया)</u> :

(क) चयन वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती 05 वर्षो में कोई दीर्घ शास्ति नहीं होनी चाहिये।

(ख) यदि विगत 10 वर्षो में 02 या 02 से अधिक दीर्घ शास्तियां हों तो उसे उस चयन अवधि के लिये अनुपयुक्त समझा जायेगा।

(ग) दीर्घ शास्ति की गणना घटना के दिनांक से आगणित की जायेगी।

5—<u>लघु शास्ति (स्थापित नियमावली के अधीन प्रदत्त शास्तिया)</u> :

(क) चयन वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती 05 वर्षो में कोई लघु शास्ति विद्यमान हाने पर संबंधित कार्मिक अनुपयुक्त समझा जायेगा।

(ख) यदि विगत 10 वर्षो में 03 या 03 से अधिक लघु शास्तियां विद्यमान हों तो उसे उस चयन अवधि के लिये अनुपयुक्त समझा जायेगा।

(ग) चयन वर्ष के पूर्व के 10 वर्षो में यदि 02 लघु शास्तियों के अतिरिक्त कोई अन्य प्रतिकूलता यथा अप्रमाणित सत्यनिष्ठा, प्रतिकूल वार्षिक मंतव्य, दीर्घ शास्ति होगी तो उसे उस चयन वर्ष के लिये अनुपयुक्त समझा जायेगा।

(घ) जिस चयन वर्ष के लिए विचार किया जा रहा है उस चयन वर्ष के 30 जून को अथवा उसके पूर्व में प्रदत्त लघु शास्ति का प्रभाव समाप्त हो जाता है तो संबंधित कार्मिक उस चयन वर्ष के लिए उपयुक्त होगा।

(ड़) परिनिन्दा प्रविष्टि को भी लघुदण्ड माना जायेगा। इस सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित निर्णय के कम में मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा पत्र संख्या–डीजी–चार–115(17)2006 दिनांकित 15.09.2007 निर्गत किया गया है।

6–<u>आपराधिक अभियोग</u> :

(क) यदि कोई आपराधिक अभियोग विवेचनाधीन है तो उस अभियोग का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ख) यदि किसी आपराधिक प्रकरण में न्यायालय द्वारा दण्डित है तो उसे अनुपयुक्त समझा जायेगा।

(ग) यदि किसी आपराधिक प्रकरण में आरोप पत्र न्यायालय में विचाराधीन है तो उसे सेवा अभिलेखों के आधार पर उपयुक्तता/अनुपयुक्तता की दशा में विभागीय चयन समिति की संस्तुति मुहर बन्द लिफाफे में रखी जायेगी।

7–<u>निलम्बन</u> :

यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है तो उपयुक्तता/अनुपयुक्तता की दशा में विभागीय चयन समिति की संस्तुति मुहर बन्द लिफाफे में रखी जायेगी।

8–<u>अनुशासनिक कार्यवाही</u> :

यदि कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिये आरोप पत्र जारी किया जा चुका है, तो उपयुक्तता/अनुपयुक्तता की दशा में विभागीय चयन समिति की संस्तुति मुहर बन्द लिफाफे में रखी जायेगी।

9–<u>अपूर्ण सेवा अभिलेख</u> :

यदि किसी कार्मिक का वार्षिक मंतव्य 06 माह का अंकित है शेष अवधि का अंकित नहीं है, ऐसे प्रकरण में उसके 06 माह के वार्षिक मंतव्य को पूरे वर्ष का मान लिया जायेगा, परन्तु 06 माह से कम अवधि का वार्षिक मंतव्य होने पर उस वर्ष का वार्षिक मंतव्य अपूर्ण माना जायेगा। **शासनादेश संख्या–36/8/1976–कार्मिक–2 दिनांक 30–04–1991 के अनुसार वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों के सम्बन्ध में निम्न प्रावधान किये गये हैं:–**

(I) अंकित न की जा सकी वार्षिक प्रविष्टियों की 'संतोषजनक' वर्गीकरण के बजाय "ब्लैंक" पढ़ा जाये।

(II) ऐसी प्रविष्टियों का वर्गीकरण चयन समिति द्वारा स्वयं किया जायेगा, जो उक्त प्रविष्टियों के पूर्व व पश्चात की प्रविष्टियों को देखकर अपने विवेकानुसार निर्णय लेंगे।

शासनादेश संख्या–13/15/91–का–1/1993, दिनांक 20.08.1993 के अनुसार वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों के सम्बन्ध में निम्न प्रावधान किये गये हैं:–
यदि पात्रता सूची के किसी कार्मिक की कुछ अवधि/वर्षो की वार्षिक प्रविष्टि प्राप्त/उपलब्ध न हो, तो अप्राप्त/अनुपलब्ध वार्षिक प्रविष्टियों को ब्लैंक दर्शाया जाये एवं उपलब्ध प्रविष्टियों/अभिलेखों के आधार पर (औसत के आधार पर) चयन समिति द्वारा उस कार्मिक के विषय में समुचित मूल्यांकन किया जाये।

5. उल्लेखनीय है कि पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के पत्र संख्याः डीजी–दस–400–(165)/2017 दिनांकित 25.08.2020 द्वारा आरक्षी पीएसी से मुख्य आरक्षी पीएसी के पद पर प्रोन्नति हेतु भर्ती/चयन वर्ष 2019 की कुल 5042 रिक्तियों का अधियाचन बोर्ड को उपलब्ध कराया गया।

6. प्रकरण याची/आरक्षी पीएसी मो0 दानिश पुत्र सैयद गयासुद्दीन, पीएनओ–920610352 जनपद–हरदोई की मुख्य आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस के पद पर प्रोन्नति से सम्बन्धित है। चयन वर्ष 2019 की 5042 रिक्तियों के सापेक्ष पीएसी मुख्यालय द्वारा कार्मिकों की वरिष्ठता क्रम में पात्रता सूची बोर्ड को उपलब्ध करायी गयी थी। मुख्य आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस के पद पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति गठित की गयी, जिसकी बैठक दिनांक 09.11.2020 से 12.11.2020 तक सम्पन्न हुई। चयन वर्ष 2019 की 5042 रिक्तियों के सापेक्ष याची/मुख्य आरक्षी पीएसी मो0 दानिश पुत्र सैयद गयासुद्दीन, पीएनओ–920610352 जनपद–हरदोई की चरित्र पंजिका एवं अन्य सुसंगत सेवाभिलेखों का विभागीय चयन समिति द्वारा परीक्षण किया गया, जिसमें याची/आरक्षी मो0 दानिश पुत्र सैयद गयासुद्दीन, पीएनओ–920610352 जनपद–हरदोई के सेवाभिलेखों में दण्ड संख्या–द–13/2019 दिनांक–21.06.2019 घटना का दिनांक–24.03.2019 (परिनिन्दा) विद्यमान/प्रभावी होने के कारण उसे मुख्य आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस के पद पर प्रोन्नति हेतु अनुपयुक्त पाया गया। तद्नुसार विभागीय चयन समिति की संस्तुतियाँ अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु दिनांक 12.11.2020 को पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ को प्रेषित की जा चुकी है।

7 उल्लेखनीय है कि याची/ आरक्षी मो0 दानिश पुत्र सैयद गयासुद्दीन, पीएनओ–920610352 जनपद–हरदोई को प्रदत्त उक्त दण्ड पुलिस उपमहानिरीक्षक, पीएसी, वाराणसी अनुभाग वाराणसी के आदेश संख्या–सीओवीएस–सीए–नव–33/2019 दिनांकित 29.08.2019 द्वारा विलोपत किया जा चुका है, जिसके फलस्वरूप मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ के आदेश दिनांकित 22.03.2021 के अनुपालन में पीएसी मुख्यालय के पत्र संख्या–पीएसी–1–209(76)/2021/609 दिनांकित 20.05.2021 द्वारा याची/आरक्षी मो0 दानिश को आरक्षी पीएसी से मुख्य आरक्षी पीएसी के पद पर पदोन्नति के सम्बन्ध में पुनर्विचार हेतु प्रस्ताव बोर्ड को उपलब्ध कराया गया। याची के पदोन्नति प्रकरण में पुनर्विचार हेतु विभागीय चयन समिति की बैठक दिनांक 05.06.2021 को आहूत की गयी थी। याची/आरक्षी मो0 दानिश पुत्र सैयद गयासुद्दीन, पीएनओ–920610352 जनपद–हरदोई के सुसंगत सेवाभिलेखों में वर्ष 2009, 2012 व 2013 का वार्षिक मंतव्य प्रतिकूल अंकित होने तथा उक्तांकित निर्धारित मापदण्डों से आच्छादित होने के कारण उसे विभागीय चयन समिति द्वारा अनुपयुक्त पाया गया।

8. विभागीय चयन समितियों की प्रकियाओं के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय व मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थापित व्यवस्थाओं, संगत शासनादेशों तथा पुलिस विभाग के विभागीय आदेशों को दृष्टिगत रखते हुए चयन समिति द्वारा कार्मिकों की उपयुक्तता का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करने के लिए अपने सिद्धान्त बनाये गये हैं। **मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णयों, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं, में यह विधि निर्धारित है कि चयन समिति के निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है और बदनीयत अथवा प्रकियागत अनियमितता के सीमित आधार को छोड़कर चयन समिति द्वारा किये गये किसी कार्मिक के मूल्यांकन का पुनरीक्षण करने के लिए उसे निर्देशित नहीं किया जा सकता है:–**

(क) नूतन अरविन्द बनाम भारत संघ व अन्य (1996) 2 सुप्रीम कोर्ट केसेज–488
(ख) संघ लोक सेवा आयोग बनाम एच0एल0 देव व अन्य (एआईआर 1988 एससी 1069)
(ग) दलपत अबा साहब सोलंकी बनाम बी0एस0 महाजन (एआईआर 1990 एससी 434)
(घ) अनिल कटियार बनाम भारत संघ व अन्य (1997(1) एसलआर 153)
(ड़) भारत संघ व अन्य बनाम एस0के0गोयल व अन्य, अपील (सिविल) नं0–689/2007

उक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रोन्नति हेतु निर्धारित मापदण्ड सभी कार्मिकों पर समान रूप से लागू किये गये हैं, किसी भी कार्मिक के साथ पक्षपात अथवा भेदभाव नहीं किया गया है। **याची की प्रोन्नति के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा नियमानुसार एवं विधि सम्मत कार्यवाही की गयी है।**

9. अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या–7999(एस/एस)/2021 मो0 दानिश बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांकित 22.03.2021 के अनुपालन में याची/आरक्षी मो0 दानिश पुत्र सैयद गयासुद्दीन, पीएनओ–920610352 जनपद–हरदोई का प्रत्यावेदन दिनांकित ~~शून्य~~ 16.1.21 एतद्द्वारा निस्तारित किया जाता है।

22/7/21

अध्यक्ष

उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,

लखनऊ।

प्रतिलिपिः– **निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–**

1– सचिव, गृह (पुलिस) अनुभाग–10, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

2– पुलिस उपमहानिरीक्षक, पीएसी, पीएसी मुख्यालय, लखनऊ।

3– पुलिस अधीक्षक, हरदोई को आदेश की 02 प्रतियॉ इस आशय से प्रेषित है कि इसक एक प्रति अपने अधीनस्थ नियुक्त याची/आरक्षी मो0 दानिश पुत्र सैयद गयासुद्दीन, पीएनओ–920610352 जनपद–हरदोई को हस्तगत कराकर तथा दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति के हस्ताक्षर दिनांक सहित प्राप्त कर अभिलेखार्थ **एक सप्ताह के अन्दर** वापस करना तथा यदि यह कर्मी आपके जनपद से अन्यत्र स्थानान्तरण पर गया हो तो भी अपने स्तर से प्राप्त कराना सुनिश्चित करें।

पत्र निर्गत हस्ताक्षर व दिनांक

22.7.21
05:30 PM

श्रीमान जी–
प्रेषणार्थ हेतु

22/07/2021